Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 12-12-2005
Participants : Verma Shri Ravi Prakash

Title : Need to bring a legislation for inclusion of certain castes in the list of Scheduled Castes.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) से आये ऐसे परिवार, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसाये गये हैं, तथा पश्चिम बंगाल को अनुसूचित जाति घोाित किया जाता है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इन परिवारों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ पर भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेश संशोधन विधेयक 1967 में यह व्यवस्था की थी कि पश्चिम बंगाल के लिए अनुसूचित जाति में दी गयी जातियों का कोई व्यक्ति विस्थापित होकर यदि अन्य किसी राज्य में रह रहा है, तो वह उस राज्य में अनुसूचित जाति माना जायेगा। यह विधेयक चतुर्थ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उसके भंग हो जाने के कारण पारित नहीं हो सका।

नमः शूद्र, पौंड, मांझी इत्यादि कई ऐसी जाति के लोग प्रदेश के कई स्थानों पर निवास कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित हैं। वे जातियां निरन्तर यह मांग कर रही हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कर लिया जाये।

अतः मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नमः शूद्र, पौंड, मांझी इत्यादि जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक संशोधन विधेयक जल्द से जल्द लाया जाये जिससे इस जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के अनुमन्य लाभ मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghunath Jha – Not present

Shri Ashok Kumar Rawat – Not present